

प्रेषक,

जे०पी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2013

विषय:- उच्च (चिकित्सा) शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने तथा प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की स्थापना का विस्तार किये जाने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रोत्साहन योजना में निजी निवेशकों के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहन/सुविधा का विवरण निम्नवत् है:-

भूमि संबंधी:-

- (1) मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु एम०सी०आई० द्वारा यथा समय निर्धारित मानकानुसार आवश्यक भूमि के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क केवल रु० 1/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से लिया जायेगा।
- (2) भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदन पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 01 माह के अन्दर सुसंगत अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों के अधीन निर्णय ले लिया जायेगा। हरित पट्टी, तालाब, पोखर आदि के कतिपय भू-उपयोगों का परिवर्तन मेडिकल कालेज के लिए नहीं किया जायेगा।

शुल्क संबंधी:-

- (3) विकास शुल्क/मलवा शुल्क तथा निरीक्षण शुल्क से पूर्ण छूट दी जायेगी।
- (4) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज तथा उससे संबंधित चिकित्सालय के लिए कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क०नि०-5-305-11-2005-500 (136)-2003, दिनांक 19.01.2005 की अनुसूची के प्रस्तर संख्या-8.2 (क) एवं 8.2 (च) में निहित व्यवस्थानुसार भूमि/स्थावर सम्पत्ति के अन्तर्ण पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट दी जायेगी।

भूमि तथा शुल्क संबंधी दी जाने वाली सभी सुविधाएं एम०सी०आई० द्वारा यथा समय निर्गत न्यूनतम भूमि की आवश्यकता की सीमा तक लागू होंगी।

1134
AOTI/MS
Uma
25/6

अवस्थापना:-

- (5) 220/132 के0वी0 के उपकेन्द्रों से 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 220/132 के0वी0 उपकेन्द्र पर एक बे एवं 05 किलोमीटर तक डेडीकेटेड स्वतन्त्र फीडर(33/11 के0वी0) की स्थापना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।
- (6) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों को निकटतम स्टेट हाईवे/एम0डी0आर0 /ओ0डी0आर0 से जोड़ने के लिए अधिकतम 03 किलोमीटर तक लिंक रोड का निर्माण शासकीय व्यय पर किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- (7) जहाँ 300/500 बेड का राजकीय चिकित्सालय मौजूद हैं, उसमें एम0सी0आई0 के नियमों के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों को चिकित्सकीय शिक्षण हेतु उपयोग की अनुमति दिये जाने पर केस-टू-केस विचार किया जायेगा।

वित्तीय सहायता:-

- (8) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु सावधि ऋण (टर्म लोन) पर निम्नलिखित आधार पर ब्याज उपादान प्रदान किया जायेगा:-
 - (I) बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 05 वर्ष हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई 01 करोड़ होगी।
 - (II) निवेशक इकाई/निजी संस्थाओं द्वारा जिस राष्ट्रीयकृत बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया गया होगा, ब्याज उपादान का भुगतान सीधे उस संस्थान को किया जायेगा।

ब्याज उपादान की उक्त सुविधा मेडिकल कालेज के प्रथम बैच के भर्ती होने से 5 वर्षों तक के लिए अनुमन्य होगी।
- (9) असेवित मण्डलों में स्थापित होने वाले न्यूनतम 100 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज को प्रथम बैच के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् रू0 10.00 करोड़ की तथा द्वितीय वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर रू0 10.00 करोड़ कुल 20.00 करोड़ की नकद वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह सुविधा असेवित मण्डलों में स्थापित होने वाले केवल प्रथम मेडिकल कालेज को अनुमन्य होगी। वर्तमान में असेवित मण्डल देवीपाटन, बस्ती एवं मिर्जापुर हैं।

स्वास्थ्य योजनाओं संबंधी:-

- (10) सरकारी चिकित्सालयों तथा मेडिकल कालेजों में अनुमन्य जननी सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी अथवा हेल्थवर्कर को नकद वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, की सुविधा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज से संबंधित चिकित्सालयों को भी अनुमन्य होगी।

2- उक्त प्रोत्साहन योजना में निहित व्ययभार की प्रतिपूर्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग के आय-व्ययक में बजट व्यवस्था कराते हुए की जायेगी।

3- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही हेतु चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को नोडल विभाग नामित किया जाता है। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु एक सेल गठित किया जायेगा, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु आवेदक संस्थाओं को उपलब्ध प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(जे०पी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-२/७९ /७१-२-२०१३, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उ०प्र०।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

अज्ञात से,

(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव।